अकादमी तम्बाकू एवं
प्लास्टिक निषेध क्षेत्र है।

मुद्रक : अंकित प्रिन्टर्स, जयपुर

# महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013

# मार्गदर्शिका

राजस्थान पुलिस अकादमी, नेहरू नगर, जयपुर

# महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न

**( निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष ) अधिनियम, 2013**

# मार्गदर्शिका

राजस्थान पुलिस अकादमी, नेहरू नगर, जयपुर

मार्गदर्शन
**हेमन्त प्रियदर्शी, IPS**
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एवं निदेशक
राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर
**मनीष अग्रवाल, IPS**
उप निदेशक एवं प्राचार्य
राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

सम्पादन
**सुमन चौधरी**
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
**धीरज वर्मा**
पुलिस निरीक्षक

सकलन
**धीरज वर्मा**
**यदुराज शर्मा** (परामर्शद्)
**विश्वास शर्मा** (परामर्शद्)

प्रकाशन
**राजस्थान पुलिस अकादमी**
नेहरू नगर, जयपुर

**हेमन्त प्रियदर्शी, IPS**
अतिरिक्त महानिदेशक एवं निदेशक

**राजस्थान पुलिस अकादमी**
**नेहरू नगर, जयपुर**

# संदेश

भारतीय संविधान में प्रदत्त अधिकारों ने महिलाओं के सशक्तीकरण, समानता एवं सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा केन्द्र सरकार ने भी महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के स्वरूप में परिवर्तन को देखते हुए समय-समय पर नये कानून बनाकर व उपलब्ध कानूनों में संशोधन करके महिलाओं को प्रत्येक स्तर पर सशक्त बनाने का प्रयास किया है, जिसके फलस्वरूप महिलाएँ देश के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

महिलाओं की कार्यस्थल पर भागीदारी सुनिश्चित करने व गरिमापूर्ण माहौल में कार्य करने के लिए महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 लागू किया गया है, जो महिलाओं को कार्यस्थल पर एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना सुनिश्चित करता है। इस अधिनियम में कार्यस्थल पर होने वाली

यौन हिंसा से बचाव, रोकथाम व शिकायतों के निवारण के प्रावधान किये गये हैं जिससे कि उनको कार्यस्थल पर कार्य करने की अनुकूल व स्वतंत्र परिस्थितियाँ व सुरक्षात्मक वातावरण मिल सके।

यह पुस्तक सेन्टर फॉर सोशल डिफेन्स एण्ड जेण्डर स्टडीज, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा एक संक्षिप्त प्रयास है जो पुलिस एवं अन्य महत्त्वपूर्ण विभागों में कार्यरत पुरुष अधिकारियों व कर्मचारियों को अपनी महिला सहभागियों के लिए सद्भावनापूर्ण माहौल एवं आपसी समझ बनाने व कानून के बेहतर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने में मदद करेगी।

**हेमन्त प्रियदर्शी, IPS**
अतिरिक्त महानिदेशक एवं निदेशक

# महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013

महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण और लैंगिक उत्पीड़न के परिवादों के निवारण तथा उससे सम्बन्धित विषयों का उपबंध करने के लिए ''महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष)'' अधिनियम 2013 दिनांक 22 अप्रैल, 2013 को लागू किया गया।

- यौन उत्पीड़न प्रतिदिन होने वाली व्यापक हिंसा का एक रूप है। अधिकतर महिलाएँ यौन उत्पीड़न की इन रोजमर्रा की होने वाली घटनाओं को नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाती हैं किन्तु यह व्यवहार उनके मानसिक स्तर पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यह बहुत महत्त्वपूर्ण है कि यौन उत्पीड़न और मजाक के बीच फर्क समझा जाए। यदि हम हिंसा के विभिन्न रूपों को देखे तो जन्म से मृत्यु तक प्राय: सभी प्रकार की हिंसा महिलाओं के जीवन में किसी न किसी रूप में मौजूद है।
- लैंगिक उत्पीड़न के परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के अधीन समानता और संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन गरिमा से जीवन व्यतीत करने के किसी महिला के मूल अधिकार और कोई व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने के अधिकार का जिसके अन्तर्गत लैंगिक उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित वातावरण का अधिकार भी है, उल्लंघन होता है।

- अगस्त 1997 को महिलाओं को उस समय जीत हासिल हुई जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर होने वाली यौन हिंसा के लिए एक मार्गदर्शिका बनाई जिसमें मालिक या संस्थाओं को यौन हिंसा की रोकथाम और बचाव के लिए कदम उठाने के लिए जिम्मेदार बताया। न्यायालय ने यह फैसला एक याचिका के सन्दर्भ में दिया।

## अधिनियम की आवश्यकता

- भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 14 यह उपबन्धित करता है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जायेगा।
- अनुच्छेद 15 (3) :—कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबन्ध बनाने से नहीं रोकगी अर्थात् यह स्त्रियों और बालकों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान किए जाने की राज्य को शक्तियाँ प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 16 :—यह अनुच्छेद सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता की गारण्टी करता है।
- अनुच्छेद 42 :—यह अनुच्छेद राज्य को काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूती सहायता का उपबन्ध करने के लिए निर्देश देता है।
- महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के विभेदों को दूर करने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन जून, 1993 में शोषणात्मक उपयोग करने को, सभी समुचित राष्ट्रीय, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय उपायों द्वारा रोकने का अनुसमर्थन भारत ने किया है।



## अधिनियम के उद्देश्य

- महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर होने वाली यौन हिंसा से बचाव, रोकथाम व शिकायतों का निवारण करना।
- कार्यस्थल पर महिलाओं की लिंग समानता, कार्य करने की अनुकूल व स्वतंत्र परिस्थिति प्रदान करना।
- कार्यस्थल पर महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के साथ ही उन्हें सुरक्षा की भावना के साथ आर्थिक रूप से मजबूत बनाना।
- विशाखा मार्गदर्शिका के अनुरूप कार्यस्थल पर महिलाओं के संरक्षण सम्बन्धी एक मजबूत कानून को प्रभाव में लाना।

## अधिनियम से सम्बन्धित परिभाषाएँ

1. **कर्मचारी से आशय** कोई ऐसे व्यक्ति से है जो किसी कार्यस्थल पर किसी कार्य के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष रूप से या किसी अभिकर्त्ता, जिसके अन्तर्गत कोई ठेकेदार भी है, नियमित अस्थाई, तदर्थ या दैनिक मजदूरी के आधार पर, नियोजित है या स्वैच्छिक पारिश्रमिक के आधार पर कार्य कर रहा है।
2. **नियोजक से आशय** समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी विभाग, संगठन, उपक्रम, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट का प्रधान या ऐसे अन्य अधिकारी, जो यथास्थिति, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण इस निमित्त आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाये।
   - कार्यस्थल के प्रबन्ध पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति
   - कार्यस्थल के सम्बन्ध में अपने कर्मचारियों के सम्बन्ध में संविदाओं का निर्वहन करने वाला व्यक्ति

- ऐसा कोई व्यक्ति या गृहस्थ, जो ऐसे नियोजित कर्मकार की संख्या, समयावधि या किस्म या नियोजन की प्रकृति या घरेलू कर्मकार को नियोजित करता है या उसके नियोजन से फायदा प्राप्त करता है।

3. **कार्यस्थल से आशय** ऐसा कोई सरकारी विभाग, संगठन, प्राधिकरण सरकारी कम्पनी या किसी निगम या सहकारी सोसायटी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्व, नियंत्रण के अधीन या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित किया जाता है-
   - कोई प्राइवेट सेक्टर, संगठन, उद्यम, उपक्रम, संस्था, सोसायटी, न्यास, गैर सरकारी संगठन यूनिट या किसी सेवाप्रदाता, जो वाणिज्यिक, व्यावसायिक, शैक्षिक, मनोरंजक, औद्योगिक, स्वास्थ्य सेवाऐं या वित्तीय क्रियाकलाप करता है, जिसके अन्तर्गत उत्पादन विक्रय, वितरण शामिल है;
   - अस्पताल या परिचर्या गृह
   - प्रशिक्षण, खेलकूद या उससे सम्बन्धित अन्य क्रियाकलापों के लिए प्रयुक्त, कोई खेलकूद संस्थान, स्टेडियम, प्रतिस्पर्धा या क्रीड़ा का स्थान, चाहे आवासीय हो या नहीं, शामिल है;
   - नियोजन के दौरान कर्मचारी द्वारा भ्रमण किया गया कोई स्थान, जिसके अन्तर्गत ऐसी यात्रा के लिए नियोजक द्वारा उपलब्ध कराया गया परिवहन भी शामिल है;
   - कोई-निवास-गृह या कोई गृह



4. **घरेलू कर्मकार से आशय** ऐसी कोई महिला से है जो किसी गृह में पारिश्रमिक के लिए कार्य करती है, नगद में, वस्तु के रूप में, प्रत्यक्ष रूप या किसी माध्यम से अस्थायी, स्थायी, अशंकालिक या पूर्वकालिक आधार पर नियुक्त है किन्तु इसके अन्तर्गत नियोजक के घर का सदस्य नहीं है।
5. **व्यथित महिला से आशय** ऐसी महिला जो -
   - किसी कार्य स्थल के सम्बन्ध में किसी भी आयु की ऐसी महिला, चाहे नियोजित हो या नहीं जो प्रत्यर्थी द्वारा लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत करती है या
   - किसी निवास गृह या गृह के सम्बन्ध में, किसी भी आयु की ऐसी महिला जो ऐसे किसी निवास गृह या गृह में नियोजित है।
6. **प्रत्यर्थी से तात्पर्य** ऐसे व्यक्ति से है जिसके विरुद्ध व्यथित महिला ने धारा-9 के अधीन कोई परिवाद दर्ज कराया है।

**लैंगिक उत्पीड़न के अन्तर्गत निम्नलिखित निंदनीय लैंगिक व्यवहार सम्मिलित है**

- शारीरिक सम्पर्क या फायदा उठाना या;
- लैंगिक पक्षपात की माँग या अनुरोध करना या;
- लैंगिक अर्थ वाली टिप्पणियाँ करना या;
- अश्लील साहित्य दिखाना या;
- लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य निंदनीय शारीरिक, शाब्दिक या गैर शाब्दिक आचरण करना

**लैंगिक उत्पीड़न का निवारण ( 3 )**

किसी भी महिला का किसी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न नहीं किया जावेगा।

अन्य परिस्थितियों के साथ ही निम्नलिखित परिस्थितियों को यदि लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य या आचरण के सम्बन्ध में उत्पन्न होती है या विद्यमान है को लैंगिक उत्पीड़न माना जावेगा-

- उसके नियोजन में अधिगामी व्यवहार का स्पष्ट चयन देना; या
- उसके नियोजन में अहितकर व्यवहार या स्पष्ट धमकी देना, या
- उसकी वर्तमान या भावी नियोजन की स्थिति के बारे में नुकसान पहुँचाने या स्पष्ट धमकी देना, या
- उसके कार्य में हस्तक्षेप करना या उसके लिए आपराधिक या शत्रुतापूर्ण कार्य का वातावरण सृजित करना; या
- उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित करने वाला अपमानजनक आचरण करना

**आन्तरिक शिकायत समिति ( 4 )**

कार्यस्थल पर 10 या अधिक कर्मचारी होने पर नियोजक लिखित आदेश द्वारा आन्तरिक परिवाद समिति का गठन करेगा।

**संरचना**

- **आन्तरिक शिकायत समिति की संरचना निम्न प्रकार होगी-** समिति में एक पीठासीन अधिकारी जो कर्मचारियों में वरिष्ठ स्तर की महिला होगी परन्तु किसी वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी के उपलब्ध न होने की दिशा में, अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक यूनिटों से पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जायेगा।
- कर्मचारियों में से दो ऐसे सदस्य होंगे जो महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता रखते हों, साथ ही सामाजिक कार्यों में अनुभव व कानूनी समझ रखते हों।



- एक सदस्य गैर सरकारी संगठन से होगा जो कि महिलाओं के लिए कार्य करता हो या ऐसा कोई व्यक्ति जो लैंगिक उत्पीड़न से सम्बन्धित मुद्दों से परिचित हो।
- समिति के कुल सदस्यों में से आधी महिलाएँ होंगी।
- पीठासीन अधिकारी व सदस्यों का कार्यकाल मनोनीत होने की दिनांक से 3 वर्ष तक का होगा।

**आन्तरिक समिति के सदस्यों को पद से हटाया जाना**

जहाँ आन्तरिक समिति का पीठासीन अधिकार या कोई सदस्य—

- धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करता है
- किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है। किसी विधि के अधीन किसी अपराध के बारे में उसके विरुद्ध कोई जाँच लम्बित है, या
- उसे किन्हीं अनुशासनिक कार्यवाहियों में दोषी पाया गया है या उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित है, या
- उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है, जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित के प्रतिकूल हो गया है।

**स्थानीय परिवाद समिति ( 5 )**

- कार्यस्थल पर 10 से कम कर्मचारी होने पर स्थानीय परिवाद समिति का गठन किया जावेगा।
- जिला कलेक्टर, अति. जिला कलेक्टर, उप जिला कलेक्टर जिला स्तर पर जिला अधिकारी के रूप में मनोनीत होंगे।
- जिला स्तर पर जिला अधिकारी द्वारा स्थानीय परिवाद समिति बनाई जायेगी।

- जिलाधिकारी प्रत्येक तहसील/ब्लॉक/वार्ड/नगर निगम स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा जो शिकायत प्राप्त होने के सात दिन के अन्दर कार्यवाही सम्बन्धित स्थानीय परिवाद समिति को सौंपेंगे।
- समिति का अधिकार क्षेत्र जिले के उन क्षेत्रों पर होगा जिस क्षेत्र के लिए उसका गठन किया गया है।

**संरचना ( 6, 7 )**

- स्थानीय परिवाद समिति, जिला अधिकारी द्वारा नामित किये जाने वाले सदस्यों से मिलकर बनेगी।
- अध्यक्ष, जो सामाजिक कार्य के क्षेत्र में प्रख्यात और महिलाओं की समस्याओं के प्रति संवेदनशील महिला होगी।
- एक महिला सदस्य जो जिले के ब्लाक या तहसील या वार्ड या नगरपालिका में कार्यरत महिला में से होगी।
- दो सदस्य जिनमें से कम से कम एक सदस्य महिला होगी जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो, गैर सरकारी संगठनों से नामित कि जायेगी, व दूसरा ऐसा व्यक्ति वह होगा जो लैंगिक उत्पीड़न से सम्बन्धित मुद्दों की जानकारी रखता हो परन्तु कम से कम एक महिला जो अनु. जाति, जन-जाति, पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक समुदाय से नामित की जावेगी।
- जिले के समाज कल्याण/महिला व बाल कल्याण विभाग से सम्बन्धित अधिकारी समिति का पदेन सदस्य होगा।
- समिति के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल मनोनित होने की दिनांक से तीन वर्ष तक का होगा।



**स्थानीय परिवाद समिति के सदस्यों को पद से हटाया जाना**

जहाँ स्थानीय समिति का पीठासीन अधिकारी या कोई सदस्य-

- धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, या
- किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, किसी विधि के अधीन किसी अपराध के बारे में उसके विरुद्ध कोई जाँच लम्बित है, या
- उसे किन्हीं अनुशासनिक कार्यवाहियों में दोषी पाया गया है या उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित है, या
- उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है, जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित के प्रतिकूल हो गया है।

**लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद ( 9 )**

- कोई व्यथित महिला, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की घटना से 3 मास की अवधि के भीतर और शृंखलाबद्ध घटनाओं की दशा में अन्तिम घटना की तारीख से 3 मास की अवधि के भीतर लिखित में परिवाद समिति को कर सकेगी।
- जहाँ ऐसा परिवाद लिखित में नहीं किया जा सकता है वहाँ आन्तरिक समिति का, यथास्थिति पीठासीन अधिकारी या सदस्य या स्थानीय समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य महिला को लिखित में परिवाद करने के लिए सहायता प्रदान करेगा।
- आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से परिवाद पेश करने की 3 मास की समय सीमा को बढ़ा

सकेगी। यदि वह सन्तुष्ट हो कि परिस्थितियाँ ऐसी थीं जिस कारण से महिला उक्त अवधि में परिवाद दर्ज नहीं करा सकी।

- यदि व्यथित महिला अपनी शारीरिक या मानसिक असामर्थ्य या मृत्यु के कारण या अन्यथा परिवाद करने में असमर्थ है तो उसका विधिक वारिस या ऐसा अन्य व्यक्ति जो विहित किया जाये, वह परिवाद दर्ज करा सकेगा।

**जाँच प्रारम्भ करने से पूर्व सुलह ( 10 )**

- आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति, धारा 11 के अधीन जांच आरम्भ करने से पूर्व या व्यथित महिला के अनुरोध पर, सुलह के माध्यम से उसके और प्रत्यर्थी के बीच मामले का समाधान करने का उपाय कर सकेगी।
- परन्तु कोई धन सम्बन्धी समाधान सुलह के आधार के रूप में नहीं किया जायेगा।
- आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति, इस प्रकार के किये गये समाधान को अभिलेखित करेगी और उसे नियोजक या जिला अधिकारी को ऐसी कार्यवाही करने के लिए भेजेगी जो सिफारिश में अंकित किया जाए।
- आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति अभिलिखित किये गये निर्णय की प्रतियाँ व्यथित महिला और प्रत्यर्थी को उपलब्ध करायेगी।
- सुलह से परिवाद का समाधान हो जाने की स्थिति में समिति द्वारा कोई अन्य जाँच संचालित नहीं की जाएगी।



**परिवाद के बारे में जाँच ( 11 )**

- प्रत्यक्षी के विरुद्ध परिवाद प्राप्त होने पर आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति जहाँ प्रत्यक्षी कोई कर्मचारी है, वहाँ प्रत्यक्षी पर लागू सेवा नियमों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
- जहाँ कोई नियम विद्यमान नहीं है, वहाँ ऐसी रीति से जो विहित की जाये परिवाद के बारे में जाँच करने की कार्यवाही की जावेगी।
- किसी घरेलू कर्मकार की दशा में स्थानीय समिति, यदि प्रथम दृष्ट्या मामला विद्यमान है तो भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी एवं वहाँ उक्त संहिता के किसी अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन मामला दर्ज करने के लिए 7 दिन की अवधि के भीतर पुलिस को परिवाद भेजेगी।
- जहाँ व्यथित महिला सूचित करती है कि सुलह के सम्बन्ध में किये गये समाधान कि किसी शर्त का प्रत्यक्षी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है, वहाँ समिति परिवाद के बारे में जाँच करने की कार्यवाही करेगी।
- जहाँ दोनों पक्षकार कर्मचारी हैं, वहाँ पक्षकारों को जाँच के दौरान सुनवाई का अवसर दिया जावेगा एवं निष्कर्ष की एक प्रति दोनों पक्षकारों को, उन्हें समिति के समक्ष निष्कर्षों के विरुद्ध अभ्यावेदन करने में समर्थ बनाने के लिए उपलब्ध कराई जावेगी।
- भारतीय दण्ड संहिता की धारा 509 में दी गई किसी बात के होते हुए भी न्यायालय द्वारा जब प्रत्यक्षी को अपराध में सिद्धदोष ठहराया जाता है, वहाँ प्रत्यक्षी द्वारा महिला को ऐसी राशि के संदाय का आदेश कर सकेगा जो वह समुचित समझे।

- आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति को परिवाद की जाँच करने के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियाँ निहित होगी-
    - किसी व्यक्ति को समन करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना, या
    - किन्हीं दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किये जाने की अपेक्षा करना, या
    - ऐसा कोई अन्य विषय जो विहित किया जाये।
- परिवाद की जाँच 90 दिन की अवधि के भीतर पूर्ण की जावेगी।

**जाँच के लम्बित रहने के दौरान कार्यवाही ( 12 )**

- व्यथित महिला द्वारा किए गए अनुरोध पर, यथास्थिति, आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति नियोजक को निम्नलिखित की सिफारिश कर सकेगी-
    - व्यथित महिला या प्रत्यर्थी का किसी अन्य कार्यस्थल में स्थानान्तरण करने;
    - व्यथित महिला की तीन मास की अवधि तक छुट्टी मंजूर करने;
    - व्यथित महिला को ऐसी अन्य राहत प्रदान करने, जो विहित की जाए।
- इस धारा के अधीन व्यथित महिला को मंजूर की गई छुट्टी के अतिरिक्त होगी, जिसके लिए वह अन्यथा हकदार होगी।
- आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति की सिफारिश पर, नियोजक समिति द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करेगा और ऐसे



कार्यान्वयन की रिपोर्ट, आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति को भेजेगा।

**जाँच रिपोर्ट ( 13 )**

- आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति अपने निष्कर्षों की एक रिपोर्ट, यथास्थिति नियोजक या जिला अधिकारी को जाँच के पूरा होने की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर उपलब्ध कराएगी और ऐसी रिपोर्ट सम्बन्धित पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई जाएगी।
- समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध अभिकथन साबित नहीं किया गया वह वहाँ, नियोजक और जिला अधिकारी को यह सिफारिश करेगी कि मामले में कोई कार्यवाही की जानी अपेक्षित नहीं है।
- समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध अभिकथन साबित हो गया है, वहाँ वह, यथास्थिति नियोजक या जिला अधिकारी से निम्नलिखित की सिफारिश करेगी-
    - प्रत्यर्थी को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार कदाचार के रूप में या जहाँ ऐसे सेवा नियम नहीं बनाए गए हैं, वहाँ ऐसी रीति में, जो विहित की जाए लैंगिक उत्पीड़न के लिए कार्यवाही करने,
    - प्रत्यर्थी को लागू सेवा नियमों में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्यर्थी के वेतन या मजदूरी से व्यथित महिला को या उसके विधिक वारिस को प्रदान किए जाने वाले ऐसी राशि की जो वह समुचित समझे, कटौती की जावेगी;

- नियोजक प्रत्यर्थी के कर्त्तव्य से अनुपस्थिति रहने या नियोजन के समाप्त हो जाने के कारण उसके वेतन से ऐसी कटौती करने में असमर्थ है तो वह व्यथित महिला को ऐसी राशि का संदाय करने का प्रत्यर्थी को निर्देश दे सकेगा।
- प्रत्यर्थी उपरोक्त राशि का संदाय करने में असफल रहता है, तो आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति, सम्बन्धित जिला अधिकारी को भू-राजस्व के बकाया के रूप में राशि की वसूली के लिए आदेश भेज सकेगी।
- नियोजक या जिला अधिकारी, उसके द्वारा सिफारिश की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर उस पर कार्यवाही करेगा।

**मिथ्या परिवाद या मिथ्या साक्ष्य का दिया जाना ( 14 )**

- आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि प्रत्यक्षी के विरुद्ध अभिकथन द्वेषपूर्ण है या परिवाद मिथ्या जानते हुए किया गया है। उस स्थिति में नियोजक या जिला अधिकारी को उस महिला या व्यक्ति के विरुद्ध लागू सेवा नियमों के अनुसार कार्यवाही करने की सिफारिश कर सकेगी।
- जहाँ ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं हैं, वहाँ ऐसी रीति में जो विहित की जाये कार्यवाही करने की सिफारिश कर सकेगी।
- किसी परिवाद को सिद्ध करने या पर्याप्त सबूत उपलब्ध कराने में मात्र असमर्थतता, इस धारा के अधीन परिवादकर्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होगी।
- आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि जाँच के दौरान किसी साक्षी ने मिथ्या साक्ष्य दिया है या कोई भ्रामक दस्तावेज पेश किया है, वहाँ वह साक्षी के नियोजक या जिलाधिकारी को उक्त साक्षी को लागू नियमों के अनुसार कार्यवाही



करने की सिफारिश कर सकेगी। जहाँ ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं हैं, वहाँ ऐसी रीति में जो विहित की जाये कार्यवाही करने की सिफारिश कर सकेगी।

**प्रतिकर ( 15 )**

- व्यथित महिला को संदत्त की जाने वाली राशियों की अवधारणा करने का प्रयोजन के लिए, आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति निम्नलिखित को ध्यान में रखेगी-
  - व्यथित महिला को पहुँचाए गए मानसिक आघात, पीड़ा, यातना और भावनात्मक कष्ट;
  - लैंगिक उत्पीड़न की घटना के कारण वृति के अवसर की हानि;
  - पीड़ित द्वारा शारीरिक या मन:चिकित्सीय उपचार के लिए चिकित्सा व्यय;
  - प्रत्यर्थी की आय और वित्तीय स्थिति;
  - एक मुश्त या किश्तों में ऐसे संदाय की साध्यता।

**परिवाद की कार्यवाहियों के प्रकाशन का प्रतिषेध ( 16 )**

- परिवादियों द्वारा दिये गये परिवाद का सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) में किसी बात के होते हुए भी, धारा 9 के अधीन किए गए परिवाद की अंतर्वस्तुओं, व्यथित महिला, प्रत्यर्थी और साक्षियों की पहचान और पते, सुलह और जाँच कार्यवाहियों से सम्बन्धित किसी जानकारी और, आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति की सिफारिशों तथा इस अधिनियम के अधीन नियोजक या जिला अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही को, किसी भी रीति में, प्रकाशित, प्रेस और मीडिया को सूचित या सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।

- इस धारा के अधीन लैंगिक उत्पीड़न के किसी पीड़ित को अभिप्राप्त न्याय के सम्बन्ध में जानकारी का, व्यथित महिला और साक्षियों के नाम, पते या पहचान या उनकी पहचान को प्रदर्शित करने वाली किन्हीं अन्य विशिष्टियों को प्रकट किए बिना, प्रसार किया जा सकेगा।

**परिवाद की कार्यवाहियों के प्रकाशन पर दण्ड ( 17 )**

- कोई व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन परिवाद, जाँच या किन्हीं सिफारिशों या की जाने वाली कार्यवाही का संचालन करने या उस पर कार्यवाही करने का कर्त्तव्य सौंपा गया है, यदि वह धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वहाँ वह उक्त व्यक्ति को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार या जहाँ ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं है, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, शास्ति के लिए दायी होगा।

**अपील ( 18 )**

- इस अधिनियम की धाराओं के उपबन्धों के अधीन की गई सिफारिशों या ऐसी सिफारिशों को कार्यान्वित न किये जाने से व्यथित कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को लागू सेवा नियमों के अनुसार न्यायालय या अधिकरण को अपील कर सकेगा।
- जहाँ ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं हैं, वहाँ अन्य विधि पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, व्यथित ऐसी रीति में अपील कर सकेगा, जो विहित की जाए।
- अपील की कार्यवाही सिफारिशों के 90 दिन की अवधि के भीतर की जावेगी।

❑❑❑